सं०स०–16 / एम.1–69 / 2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग,ऐनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,
पुराना सचिवालय, पटना–800015

पटना, दिनांक–

विषयः– शेखपुरा जिला में कार्यरत नवनियुक्त होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध मे।

प्रसंगः– वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated 27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासगिक पत्र के संबध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 06 / 2020 के आलोक मे बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या–303(आ.चि.), दिनांक–14.03.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियो को पूर्णतः औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनो का चिकित्सीय प्रशिक्षण / जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलो में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नही मिलने के कारण तदुपरात आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0–744(आ.चि.), दिनांक–19.07.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानो यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / जिला संयुक्त औषधालयों / राजकीय औषधालयों / आयुष कॉलेज अस्पतालो आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत है। इस प्रकार सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्राक 1397(आ0चि0) दिनांक 20.12.2024 द्वारा दिनांक 20.07.2024 तक योगदान करने वाले नवनियुक्त चिकित्सको के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अविध को कतिपय शर्तो के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन

12/03/25

चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 20.07.2024 के उपरात योगदान दिया है एव विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं, उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है:–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/ GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० मनमोहन प्रसाद होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, अदौली	दिनाक 15 03 2024 से 23 07 2024 तक 131 दिन	—	04122425057625		प्रशिक्षण अवधि
2	डॉ शम्भु कुमार होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति० प्रा० स्वा0 केन्द्र, कसार अरियरी	दिनाक 15 03 2024 से 21 07 2024 तक 129 दिन	—	19122425058625		प्रशिक्षण अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

16/एम.1–69/2025 – 405 (अ० चि०) **पटना, दिनांक–** 12.3.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन, शेखपुरा/संबधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अ0प्रा0स्वा0के0/कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/संबधित होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु कहेतु प्रेषित।

12/03/26

सरकार के अवर सचिव